P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-7* March- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आदतन अपराधी एक समाजिक एवं विधिक समस्या एक अवलोकन

Habitual Criminal An Social and Legal Problem An Observation

Paper Submission: 15/03/2021, Date of Acceptance: 24/03/2021, Date of Publication: 25/03/2021

भवानी प्रसाद यादव
विभागाध्यक्ष,
विधि विभाग,
शासकीय पालूराम धनानिया
वाणिज्य एवं कला
महाविद्यालय
रायगढ़ छ.ग. भारत

सारांश

समाज में निरंतर बढ़ती हुई आदतन अपराधियो की संख्या न्यायप्रषासन के लिये एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। आदतन अपराधियों का मतलब जो बार–बार अपराध करते है आदतन अपराधियों की समयस्या विष्वाव्यापी है। आदतन अपराधी स्वयं में एक समस्या होने के अलावा यह अपराधो एवं अपराधियों की संख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण है। आदतन अपराधी के भी कठोर अपराधी बन जाने की सम्भावना बनी रहती है। आज के समय में समाजषास्त्र, मनोचिकित्सा, अपराध विज्ञान तथा अपराधशास्त्र के सिद्धांत के विकास के कारण, अपराध एवं अपराधियों के प्रति अपनाई जाने वाली रूढ़िगत दण्ड व्यवस्था की व्यर्थता सिद्ध हो चुकी है। इस शोध पत्र में आदतन अपराधियों की बढ़ती संख्या एवं न्यायप्रशासन की कमजोर स्थिति पर ऑकडों के आधार पर आदतन अपराधियों पर एक वैधानिक एवं प्रशासनिक अध्ययन किया गया है।

Habitual Criminal are problem for Criminal Justice system. The problem of Recidivism is increasing in the socity. Recidivism means who are habitned to crime. Recidivism is a world wide problem. Recidivism it self a problem for themself as well as reason for increasing rate of crime and criminals. Recidivism is a danger for peace and security. Recidivism also converted simple of criminal to hardended criminal. This research paper studied the problem of inceasingh number of habitual criminal and week criminal Adminstration system. It is a socio-legal and Administrative study on habitual offender modern study proved that traditional system of penology failed in case of Recidivism.

मुख्य शब्द : अपराधी, अपराध, दंड, प्रशासन, न्याय प्रशासन, आदतन अपराधी कारागार, सफेदपोश।
Criminal, Crime, Penal Administration, Justice Administration, Habitual Criminal Prison White Collar.

प्रस्तावना

मनुष्य एक समाजिक प्राणी है। आधुनिक समाज को हम सभ्य कहते है। आधुनिक समाज में ''जिसकी लाठी उसकी भैंस'' कहना अब न्याय विरूद्ध कहलायेगा। समाज, समुदाय तथा देश मे शाति व्यवस्था कायम रखना राज्य का दायित्व होता है। समाज में शांति बनाये रखना नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्त्वय है राज्य को अपने व्यक्तियों, नागरिको के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना तथा देश को आंतरिक एवं बाहरी अक्रमण से सुरक्षा करना राज्य का मुल उद्देश एवं मुल दायित्व है।

राज्य देश में शाति एवं सुरक्षा बनाये रखने का कार्य कानून बनाकर करता है। राज्य के मुख्य कार्य वो है जो राज्य के अस्तित्व ही के लिये आवष्यक है और इसमे ही बाहरी आक्रमण से प्रतिरक्षा एवं न्याय प्रशासन है। राज्य का कार्य है कानून बनाकर समाज मे शांति व्यवस्था बनाये रखना है। विधि और नियमो का उल्लंघन करने वालों को राज्य दण्डित करता है। उत्पत्ति की दृष्टि से समाज पहले है और राज्य पश्चातवर्ती है । समाज से यह आपेक्षा की जाती है कि वे राज्य द्वारा बनाये गये कानून एवं नियमों का पालन करें। समाज अपनी रूढ़ियों, रीति–रिवाजों, परम्परा आदि पर निर्भर करता है और राज्य कानून पर निर्भर करता है। समान उद्देश्य तथा समान इच्छा से ही दोनों का निर्माण होता है।

दण्ड की अनिवार्यता को प्रायः सभी देशों ने एवं समाज ने स्वीकार किया है। कुछ दण्डशास्त्री कठोर दण्ड दिये जाने के पक्षधर है जबकि कुछ सुधारात्मक या अपचारात्मक दण्ड दिये जाने का समर्थन करते है। परन्तु सभी दण्डशास्त्री इस बात में सहमत है कि अपराधों के निवारण के लिये दण्ड के प्रावधान रखे जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि दण्ड का भय ही व्यक्ति को आराधिक आचरण से दूर रखता है।

शोध–पत्र का उद्देश्य

आदतन अपराधी से तात्पर्य ऐसे आदतन अपराधी से है जो बार–बार अपराधों की पुनरावृत्ति करता है चाहे वह एक ही प्रकार का अपराध हो या अलग – अलग प्रकार के अपराध हों। ऐसे व्यक्ति अपराधिकता में इतना लिप्त रहते है कि बार–बार अपराध करते है और उनको किसी प्रकार का डर, भय या संकोच नहीं होता और अपराध करना उनके लिये एक व्यवसाय बन जाता है।

अपराध जगत में लगातार आदतन अपराधीयों की संख्या अपराधिक न्याय–प्रशासकों के अपराध निवारण एवं अपराधियों के पुनर्वास के कार्य में एक जटिल समस्या बनी हुई है। इनमें से अनेक अपराध करने के बाद पुलिस से बच निकलते है और पकडे ही नहीं जाते अतः उनकी दोषसिद्धि तथा दण्ड का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो दंडित किये जाते है उन प्रकार के अपराधियों को निरोध में रखने के लिये कारागारों तथा सुधार गृहों पर जनता की बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है, लेकिन अपराधिकता की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह निर्विवाद है कि आदतन अपराधी सुधार योग्य नहीं होते और उन पर किसी प्रकार के उपचार का कोई असर नहीं होते, क्योंकि वे सुधार और पुनर्वास में कोई रूचि नहीं रखते है अतः स्पष्ट है कि ऐसे आदतन अपराधियों को जेल में रखे जाने के सिवाय कोई अन्य उपाय नही है। इस शोध–पत्र का उद्देश्य यह है कि पिछले सत्रह वर्षो के आंकडों का विश्लेषण करना हैं। क्राइम इन इण्डिया (National Record Bearou) नई दिल्ली के द्वारा जारी किये आंकडो का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है एवं आदतन अपराधियों के बढ़ने के कारण एवं दूर करने के उपायों का अध्ययन करना है।

आदतन अपराधियों पर साहित्य

आदतन अपराधियों पर विश्व में एवं भारत में अनेक अध्ययन किये गये है। अमेरिका के कारागारों में हाल के ऑकडों का विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि वहॉ राज्यों के एवं संघीय कारागारों मे भेजे गये अपराधियों में से पचास प्रतिशत से अधिक आदतन अपराधी होते है। (Mical D. Moltz Recidivism 1984) इसी तरह का अध्ययन डेविड ड्रेसलर का Reading in Criminology and Penology 1966. essa किया गया है। blh rjg John Meneriy के द्वारा Significant Charaeterstism of Recidivism 1958 page No. 211-217 में विंस्तार से अध्ययन किया है विश्व को अन्य विधिशास्त्रीयों ने भी अपने किताबों में आदतन अपराधियों पर काफी कुछ अध्ययन किया है। जैसे सदरलैण्ड एण्ड कैजी, जी.बी. वोल्ड इत्यादि। भारत के भी अपराध शास्त्री एवं विधिशास्त्रयों ने भी आदतन अपराधीयों पर काफी कुछ आपनी पुस्तकों पर पर लिखा है जैसे – चौहान एम.एस ने ''अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन'', सेठना एम.जे. ने सोसाइटी एण्ड दि क्रिमीनल तृतीय संस्करण पृ.क्र. – 234, डॉ. पराजये.एन.व्ही. ने क्रिमीनोलॉजी एण्ड पेनोलॉजी 16वॉ संस्करण 204 पृ 428 इत्यादि ।

आदतन अपराधियों पर दो तरह के अध्ययन हुये है पहला विधिशास्त्रीयों के द्वारा कि आदतन अपराधियों को कितना दण्ड मिलना चाहिये उनके पुनर्वास के लिये क्या किया जाना चहिये, कानून के द्वारा कैसे रोकथाम एवं सुधार किया जा सके। दूसरा समाजशास्त्री ने आदतन अपराधियों पर व्यक्तिगत अध्ययन अर्थात आदतन अपराधी कैसे अपराधी बना, समाज के अपराधी बनने के पिछे के समाजिक, पारिवारिक विघटन, राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि कारणों का अध्ययन किया गाया है।

संकल्पनायें

इस शोधपत्र में चार संकल्पनाओं का अध्ययन किया गया है –

प्रथम

प्रथम संकल्पना में बढ़ते अपराण के साथ आदतन अपराधियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

द्वितीय

बढ़ते जनसंख्या के हिसाब से या कहें बढ़ते अपराधों की संख्या की तुलना में जेल, पुलिस और न्यायालय की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होना न्यायप्रषासन को कमजोर कराता है।

तृतीय

क्या वर्तमान में आदतन अपराधियों को अपराध करने से रोकने के लिये प्रयाप्त प्रावधान है।

चतुर्थ

आर्थिक विकास को ही मुल उद्देश्य मान कर जीने की प्रवृत्ति ही नैतिक मूल्यों की अनदेखी एवं गिरावट से भी आदतन अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी होना है।

शोधपद्धति

इस शोधपत्र में समाजिक विधिक शोध को अपनाया गया है। विधि का सम्बन्ध समाज, अर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, दण्ड प्रावधान एवं न्याय व्यवस्था आदि से सिमित एवं प्रभावित होता है। प्रस्तुत शोध पत्र में क्राइम इन इंडिया के आकडे जो की राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गये का विश्लेषण किया गया है एवं यह शोध पत्र उपलब्ध डेटा की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित है । यह शोध पत्र एक डॉक्ट्रीनल अथवा पारम्परिक अथवा अननुभवश्रित विधिक शोध पद्धति पर आधारित है।

दण्ड के विभिन्न सिद्धांत है, प्रत्येक सिद्धांत का एक काल विशेष में महत्व एवं प्रचलन रहा है। हर सिद्धांत के गुण भी है। हमें एक ऐसी दण्ड व्यवस्था को तलाशना है जिससे अपराधी एवं प्रमुख रूप से आदतन अपराधी मे अपराध की रोकथाम कर सकें। दण्ड विधि का उद्देश्य यह होना चाहिये कि जैसे –

1. दण्ड विधि अपराधियों से समाज का संरक्षण दे।

2. दण्ड विधि बेन्थम के सुखःदुख विद्धांत के अनुरूप होनी चाहिये । दण्ड की पीड़ा अपराध से प्राप्त सुखःदुखः से कम नहीं होनी चाहिये।
3. दण्ड विधि ऐसी होनी चाहिये जो अपराधों का निवारण कर सके तथा जिसमें अपराधों की पुनरावृत्ति को रोक सके।
4. दण्ड ऐसी होनी चाहिये जिसमें अपराधी भयभीत रहे और वे अपराध की पुनरावृत्ति से दूर रहे।
5. दण्ड सभी प्रकार के होनी चाहिये जैसे – मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास, कठोर एवं साधारण कारावास, अर्थदण्ड एवं सम्पत्ति की जब्ती इत्यादि।
6. दण्ड विधि भिन्न – भिन्न वर्ग के लिये भिन्न– भिन्न होनी चाहिये जैसे – बाल अपराधी, युवा, प्रौढ़, महिलाये प्रथम अपराधी एवं आदतन अपराधी इत्यादि के लिये एक जैसी नहीं होनी चाहिये।
7. दण्ड विधि सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला होना चाहिये एवं सन्तुलित होना चाहिये।

आदतन अपराधी एवं कठोर अपराधी समाज एवं समाज मे शांति व्यवस्था को भंग करते है एवं कभी–कभी गंभीर अपराधो के द्वारा समाज में एक भय का वातावरण पैदा कर देते है जिससे लोगों का कानून व्यवव्था एवं इसको लागु करने वाले संख्या के प्रति अविष्वास पैदा होता है कभी–कभी ये देष को भी बदनाम करने में अपना योगदान करते है। इसकी रोकथाम के लिये सबसे पहले इन अपराधियों का वर्गीकरण करना चाहिये जिससे इसके अनुरूप इन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये । विभिन्न अपराधियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। जैसे – पागल अपराधी, अज्ञान अपराधी, दुर्घटना वष अपराधी, कभी–कभी या अचानक सफेद पोष अपराधी, राजनितिक आराधी एवं आदतन या कठोर अपराधी भारत में भी आदतन अपराधियों के बढ़ते घटते संख्या के बावजुद यह ज्वलंत समस्या है। विष्व के अन्य देषों की तरह भारत में आदतन अपराधियों की संख्या गंभीर है। क्राइम इण्डिया के 2001 से 2017 तक के ऑकड़े जो कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (National Crime Record Bearou, New Delhi) नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है।

वर्ष	पहले कम से कम एक बार दोषी	पहले दोबार दोषी	पहले तीन बार दोषी	प्रतिशत
2001	173575	51822	16687	
2002	151422	36905	11840	
2003	138596	41133	14701	
2004	121691	44458	13855	
2005	167379	50306	16534	
2006	163218	48213	15329	
2007	160129	47996	14987	
2008	154343	047129	20613	7.7
2009	179384	51349	255316	9.0
2010	163858	49139	27484	8.2
2011	158605	41791	15793	6.9
2012	175046	36710	14973	6.9
2013	195783	44171	14144	7.2
2014	234896	47884	12960	7.8
2015	244364	37649	14143	8.1
2016	191849	35608	10427	6.4
2017	169608	169608	35786	5.6

पिछले दस सालों का अगर ऑकड़ा देखा जाये तो प्रति वर्ष प्रथम बार अपराध करने वालो की संख्या बढ़ रही है। 2008 मे 2660201 से बढ़कर 2017 में ये 3670176 तक हो गया है। इसका निषकर्ष यह निकलता है कि जैसे–जैसे जनसंख्या बढ़ रही है अपराधियो की भी संख्या बढ़ रही है। क्या इसी दर से कारागार पुलिस और न्यायालयों की बढ़ रही है। अगर तुलनात्मक देखें तो पहली संकल्पनाये दो वर्ष को छोड़ कर (2016 एवं 2017) प्रायः सभी वर्षों मे आदतन अपराधियों की संख्या बढ़ी है। दुसरी संकल्पना को परीक्षण किया जाये तो अपराधियों की तुलना में कारागार, पुलिस एवं न्यायालयों की संख्या नहीं बढ़ी है। अतः सबसे पहले सरकार को कारागार, पुलिस एवं न्यायालय की संख्या को जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ाना चाहिये ताकि अपराध के मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा सके। यह एक प्रशासनिक समस्या है जिसका निवारण नये जेल बनाकर पुलिस एवं न्यायालयों में बढ़ोत्तरी करके अपराधी एवं अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है।

नेशनल क्राइम ब्यूरो इन इंण्डिया 2016 के सांख्यिकी आंकडों के अनुसार 31 दिसम्बर को भारत में कार्यरत विभिन्न कारागारों की स्थिति निम्नानुसार दषाई गई है –

1. केन्द्रीय कारागार – 134
2. जिला कारागार – 379
3. उप कारागार – 741
4. खुले कारागार – 63
5. विशेष कारागार – 43
6. महिला कारागार – 18
7. अन्य कारागार – 3
8. भारत में कारागार – 1401

भारत के विभिन्न कारागारों की धारिता क्षमता इस प्रकार है –

1. केन्द्रीय कारागार – 1,59,198 = 43.4 :
2. जिला कारागार – 1,37,972 = 37.6 :
3. उप कारागार – 46,368 = 12.6 :
4. खुले कारागार – 5,370 = 1.5 :
5. विशेष कारागार – 10,915 = 3 :
6. महिला कारागार – 4,798 = 1.3 :
7. अन्य कारागार – 420 = 0.1:

कुल धारित क्षमता = 4,19,623 है।

कारागारों में विभिन्न प्रकार के कारावासी है जिनमें सिद्धदोष, विचाराधीन बंदी, महिला बंदी, मानसिक रोगी बन्दी, तथा विदेशी बन्दी आदि का समावेष है। जिनकी कुल संख्या साढ़े चार लाख के लगभग है, इन कारावसियों मं से 50 प्रतिशत से अधिक विचारणाधीन कैदी है। कुछ ऐसे राज्य है जहॉ कारावास की क्षमता 200

प्रतिषत से अधिक कारावासी रखे गये है ये राज्य है उत्तर प्रदेष, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड इत्यादि।

वर्तमान में भारतीय कारागारों की कुव्यवस्था तथा कुप्रबन्ध के विषय में टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि अनेक कारागार आज भी मानवीय परिभ्रष्त्रटता के प्रतिक बने हुए है । जिनमें भष्टाचार, लापरवाही इत्यादि व्याप्त है।

अतः द्वितीय संकल्पना की चर्चा करे तो यह भी सत्य है कि जनसंख्या एवं अपराधियों की बढ़ती संख्या के आधार पर कारागार, पुलिस एव न्यायालय की बढ़ोत्तरी नहीं कि गई है।

तृतीय संकल्पना की अगर विषलेषण किया जाये तो आदतन अपराधियों के लिये कानून में पर्याप्त प्रावधान है तो यह कहा जा सकता है प्रर्याप्त प्रावधान नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता के धारा 75 के अनुसार जो कोई व्यक्ति (क) भारत में किसी न्यायालय द्वारा दण्ड सहिता के अध्याय 12 (आपराधिक षडयंत्र सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधी के विषय में) या अध्याय 17 (सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों के विषय में) के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिये (ख) दोष सिद्ध ठहराए जाने के पष्चात् उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पष्चवर्ती अपराध के लिये आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के लिये कारावास से जिसकी आवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

प्रथम

उपरोक्त धारा के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि सिर्फ भारतीय दंण्ड संहिता के अध्याय 12 एवं 17 में किये गये अपराध में आदतन अपराधी के पूर्व अपराध को भी दण्ड के समय विचार किया जायेगा।

द्वितीय

उपरोक्त धारा के अंर्तगत तीन वर्ष के या ज्यादा के कारावास से दण्डनीय हो।

तृतीय

पश्चवर्ती अपराध की भी तीन वर्ष से ज्यादा का दण्डनीय अपराध होना चाहिये अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि आदतन अपराधी के दण्ड के मामले में बहुत ही सिमित अपराध के मामलो मे पश्चवर्ती अपराध के समय दण्ड पर विचार किया जाता है। जो की आज के बढ़ते हुये आदतन अपराधी के मामलों मे कम है।

आदतन अपराधियों की इच्छाये, मन का चंचलता तथा आक्रमकता आदि की प्रवृत्तियॉ ऐसे आंतरिक मनोवैज्ञानिक कारण है जो उसे पुनः पुनः अपराधिकता की ओर आकर्षित करते है और स्वयं पर नियंत्रण रख पाने में असमर्थ रहने पर वह आदतन आपराधी बन जाता है। इसी प्रकार गरीबी, पारिवारिक कलह, उपेक्षा, लांछनास्पद जीवन, अवसरों का अभाव आदि ऐसे बहारी सामाजिक कारण है जो व्यक्ति को आदतन अपराध की पुनरावृत्ति करने के लिये बाध्य कारते है।

डॉ. रेक्लैस ने कहा कि आदतन अपराधियों में इन चार बातों की कमी पायी जाती है –

1. अपने परिवार तथा समाज के प्रति लगाव की कमी।
2. उत्तरदायित्व और प्रतिबद्धता की भावना की कमी।
3. नैतिकता और समाजिक मूल्यों के प्रति अविष्वास ।
4. उन मूल्यों का सिद्धांतों की अवहेलना जो अपराधिकता से व्यक्ति को दूर रखते है।

निष्कर्ष

सारांष में यह कहा जा सकता है कि चारों संकल्पनाओं को विश्लेषण के आधार पर सही पाया गया है कि प्रथम बढ़ते अपराध के साथ आदतन अपरधियों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। द्वितीय अपराध एवं जनसंख्या की बढ़ोत्तरी के साथ–साथ न्याय प्रषासन से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है एवं अंतिम मं यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास के साथ – साथ नैतिक मूल्यों में गिरावट आदतन अपराधियों की बढ़तोरी में भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

आदतन अपराधियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में यह स्पष्ट है कि आदतन अपराधियों के द्वारा कुछ अपराधों में पुनराव्त्ति अन्य अपराधों की तुलना में अधिकता से की जाती है । जैसे चोरी, डकैती, लूट, सेंधमारी, जालसाजी, बलात्कार आदि के अपराध प्रायः प्रत्यवर्ती स्वरूप के है जबकि हत्या, मारपिट, गबन आदि की पुनरावृत्ती प्रायः नहीं की जाती है। आज–कल पुरूष अपराधियों द्वारा नषीले मादक पदार्थों का लेन–देन स्वचालित वाहनें की चोरी , धोखधडी आदि के अपराध बार–बार किये जाते है, जबकि महिला अपराधियों में लैंगिक अपराधों की प्रत्यावर्तिता की प्रवृत्ति बहुधा पाई जाती है। भारत में दण्डशास्त्रियों की धारणा है कि भारतीयों की अत्याधिक रूढ़िवादिता, अज्ञानता और निरक्षरता निरंतर बढ़ती गई आदतन अपराधियों के प्रमुख कारण है।

सुझाव

प्रथम आदतन एवं कठोर अपराधी को कड़ी निगरानी में रखा जाना चाहिये। द्वितीय अगर आदतन अपराधी को गंभीर अपराधी नहीं है तो उसको ओद्योगिक प्रषिक्षण देकर उसमें आत्मनिर्भरता और दायित्व की भावना जगानी चाहिये । तृतीय आदतन अपराधी को भी उनके अपराधीकता के मूल कारणों का अध्ययन कर उनका वर्गीकरण करना चाहिये। चतुर्थ आदतन अपराधी को जेल से छुटने के उपरान्त उचित संरक्षण देना चाहिये , हो सके तो उन्हें जेल में ही कुष्ल प्रशिक्षण देना चाहिये जिससे वह समाज में अपना भरण पोषण कर सके। पॉचवॉ सरकार को न्यायप्रषासन को अधिक सबल और सशक्त बनाना चाहिये ताकि न्यायप्रशासन के हर स्तर पर त्वरित कार्यवाही हो एवं आदतन अपराधियों पर नियंत्रण किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Crime in India राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो नई दिल्ली से प्रकाषित ऑकड़े वर्ष 2001 से 2017 तक।*
2. *Criminology Herman Mannheim 1993.*
3. *The Theory of Legislation : Jeremy Bentham 1986.*

4. *अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र एवं पीड़ितशास्त्र : प्रो. एन. बी.पराजये 2017*
5. *अपराध एवं दण्डशास्त्र : प्रो. मुरलीधर चतुर्वेदी।*
6. *अपराध के सिद्धांत : डॉ. श्यामधर सिंह।*
7. *अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन : एम.एस. चौहान।*
8. *सोसाइटी एण्ड दि क्रिमिनल : एम.जे.सेठना।*
9. *क्रिमिनोलॉजी : पी.गोस्वामी 1964।*